



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 146]
No. 146]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16, 1983/चैत्र 26, 1905
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16, 1983/CHAITRA 26, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौबहन और परिवहन मंत्रालय
(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1983

सा० का० नि० 338(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुम्बई पत्तन मार्गदर्शन और अन्य कार्य (फीस) आदेश, 1975* को अधिक्रान्त करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मुम्बई पत्तन में मार्गदर्शन और अन्य कार्यों के लिए फीस के उद्ग्रहण को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

आदेश

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1)—इस आदेश का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन मार्गदर्शन और अन्य कार्य (फीस) आदेश, 1983 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं—इस आदेश में,

(क) शटवर्ती जलयान में ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो भारत के किसी पत्तन या स्थान से भारत के किसी अन्य पत्तन या स्थान को समुद्रमार्ग से यात्रियों का माल के लाने ले जाने का कार्य करता है। किन्तु यदि कोई जलयान या नाव या यजरा अथवा देशी नाव जिसमें चौकोर बड़े-बड़े पाल न लेने हों (मुम्बई पत्तन को सीमा के भीतर किसी विदेश-गामी जलयान को या मे यात्रियों और/या माल के लाने ले जाने में स्वयं को लगाती है तो उक्त जलयान या नाव

*सा० का० नि० 375 (अ) दिनांक 1-7-75

या बजरा अथवा देशी नाव (जिसमें चौकोर बड़े बड़े पाल न लगे हों) को इस आदेश के अधीन दरों के मापमान के प्रयोजनों के लिए तब तक विदेशगामी जलयान समझा जाएगा जब तक कि उससे यात्रियों या माल के उतारने का काम पूरा नहीं हो जाता है,

- (ख) विदेशगामी जलयान से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो भारत के किसी पत्तन या स्थान और किसी अन्य पत्तन या स्थान अथवा भारत के बाहर पत्तनों का स्थानों के बीच व्यापार में लगा हुआ है,
- (ग) पत्तन में मुम्बई पत्तन अभिप्रेत है,
- (घ) पाल जलयान से किसी भी वर्णन का ऐसा जलयान अभिप्रेत है, जिसके लिए केवल पाल लगाकर नौपरिवहन के लिए पर्याप्त माल-क्षेत्र का प्रबन्ध किया गया है, चाहे वह नौदल के यांत्रिक साधनों से युक्त है या नहीं और उसमें पतवार-नौका या डोंगी सम्मिलित है, किन्तु उसमें मनोरंजन या बिहार यान सम्मिलित नहीं है,
- (ङ) "अनुसूची" से इस आदेश की अनुसूची अभिप्रेत है।

3. मार्गदर्शन (पाइलटेज) आदि के लिए फीस:—(1) स्टीमरों या पालजलयानों, जिनमें सरकारी जलयान और किराए पर लिए गए परिवहन के साधन भी सम्मिलित हैं, किन्तु भारतीय और विदेशी युद्ध जलयान सम्मिलित नहीं हैं, के सकल रजिस्ट्री कुल टनभार पर जलयानों के मार्गदर्शन और परिवहन के लिए फीस वह होगी जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

(2) भारतीय और विदेशी युद्ध जलयानों के मार्गदर्शन, (पाइलटेज) और परिवहन के लिए फीस वह होगी जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

4. मास्टर पाइलटों और पाइलटेज के लिए उपस्थिति फीस और रोके रखने की फीस:—(1) तटवर्ती जलयान की दशा में 140 रुपये की और विदेशगामी जलयान की दशा में 220 रु० की उपस्थिति फीस उस स्थिति में प्रभारित की जाएगी, जिसमें कोई पाइलट जलयान पर आता है और उसे सूचित किया जाता है कि उसकी सेवाएं अपेक्षित नहीं हैं, या हर छह घंटे की उपस्थिति या प्रथम छह घंटे के अतिरिक्त उसके भाग के लिए निम्नलिखित दशाओं में (पाल जलयानों को छोड़कर) उक्त फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्:—

- (i) जब कोई मास्टर पाइलट या पाइलट बन्दरगाह में जलयान के परिवहन के लिए नियुक्त किया जाता है और जलयान के परिवहन बन्दरगाह में लाये जाने या बन्दरगाह से ले जाये जाने के लिए तैयार है या जब कोई पाइलट नियुक्त किया जाता है और जलयान समुद्र में जाने के लिए तैयार नहीं है या जब मास्टर पाइलट या पाइलट से जलयान में पुनः लंगर डालने की मांग की जाती है,
- (ii) जब कोई जलयान डॉक से बाहर लाये जाने के पश्चात् अभिभारित होने के कारण रोक लिया गया है।

(2) जब अपरिहार्य परिस्थितियों में, मास्टर पाइलट या पाइलट से पोत पर काम के लिए उपस्थिति होने की अपेक्षा की जाए, तो प्रत्येक छः घंटे के लिए या प्रथम छः घंटे के अतिरिक्त उसके भाग के लिए, जिसके दौरान वह पत्तन की सीमाओं से बाहर है और जत्र तक वह मुम्बई वापस नहीं आ जाता है, निम्नलिखित फीस ली जाएगी। अर्थात्:—

- (क) 70 रुपये तटवर्ती जलयान पर,
- (ख) 110 रुपये विदेशगामी जलयान पर।

5. जलयान मोचने की फीस:—मुगल या रिट्शी शुष्क डाक में शुष्क डाक करने वाले सभी जलयानों से निम्नलिखित दरों पर खींचने की फीस ली जाएगी, यदि उसके पहले हेड कास्ट यान के लिए लंगर डाला जाता है और उसके पश्चात् उन्हें शुष्क डाक में खींचा जाता है, अर्थात्:—

- (क) 177 रुपये तटवर्ती जलयान पर,
- (ख) 279 रुपये विदेशगामी जलयान पर।

परन्तु उस स्थिति में कोई फीस नहीं ली जाएगी, जब जलयान सीधे मुगल या रिट्शी शुष्क डाक को जाता है।

6. बन्दरगाह मास्टर की उपस्थिति फीस:—जहां उप संरक्षक यह समझता है कि बन्दरगाह मास्टर की उपस्थिति आवश्यक है और वह ऐसी उपस्थिति की व्यवस्था करता है, वहां तटवर्ती जलयान के संबंध में 207 रुपये और विदेशगामी जलयान के संबंध में 326 रुपये की दर से फीस इस आदेश के अधीन प्रभार्य परिवहन या मार्गदर्शन (पाइलटेज) फीस के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों के लिए उद्गृहीत की जाएगी:—

- (क) लंगरों की परीक्षा करने या उन्हें उठाने या डालने या पुनः डालने या लंगरों या जंजीर को ढूँढने के लिए,

- (ख) प्रपुंज तेल जलयान को तेल बर्ष तक या वहां से ले जाने के लिए,
 (ग) किसी जलयान को ब्रेक अप भूमि पर रखने के लिए,
 (घ) ऐसे जलयान में काम पर उपस्थिति होने के लिए, जिसमें आग लग गई हो या जो किसी अन्य विशेष परिस्थिति में हो।

प्रथम अनुसूची

[खंड 3(1) देखिए]

		मार्ग दर्शन (पाइलटज) फीस		परिवहन फीस	
जलयान का सकल टन भार		छः घंटे के भीतर समुद्र से डॉक तक या डॉक से समुद्र तक	छः घंटे के भीतर समुद्र से डॉक तक या डॉक से समुद्र तक	परिवहन फीस एक बर्ष से दूसरी बर्ष तक, या धारा से डॉक तक या डॉक से धारा तक	बंदरगाह में
1	2	तटवर्ती जलयान	विदेशगामी जलयान	तटवर्ती जलयान	विदेशगामी जलयान
		रु०	रु०	रु०	रु०
100 टन और उससे कम		207	326	207	326
100 टन से अधिक 200 तक		207	326	207	326
200 " 300 "		207	326	207	326
300 " 400 "		214	336	222	347
400 " 500 "		222	347	234	369
500 " 600 "		228	358	249	390
600 " 700 "		234	369	263	412
700 " 800 "		242	381	276	435
900 " 1000 "		255	401	304	477
1000 " 1100 "		263	412	317	498
1100 " 1200 "		269	423	331	520
1200 " 1300 "		276	435	344	543
1300 " 1400 "		284	444	358	563
1400 " 1500 "		290	455	373	586
1500 " 1600 "		296	466	385	608
1600 " 1700 "		301	477	400	629
1700 " 1800 "		311	489	414	651
100 टन से अधिक 1900 तक					
1800 " 1900 "		317	498	427	671
1900 " 2000 "		325	509	441	694
2000 " 2100 "		331	520	455	716
2100 " 2200 "		338	532	468	717
2200 " 2300 "		344	543	482	759
2300 " 2400 "		352	554	497	780
2400 " 2500 "		358	563	509	802
2500 " 2600 "		365	574	524	824
					296
					466

1			2	3	4	5	6	7
2600	„	2700	373	586	536	845	304	477
2700	„	2800	379	597	551	867	311	489
2800	„	2900	385	608	565	888	317	498
3000	„	3100	400	629	592	932	331	520
3100	„	3200	406	640	606	953	338	532
3200	„	3300	444	651	619	975	344	543
3300	„	3400	420	662	633	996	352	554
3400	„	3500	427	671	648	1018	358	563
3500	„	3600	435	683	660	1040	365	574
3600	„	3700	441	694	675	1061	373	586
3700	„	3800	447	705	687	1083	379	597
3800	„	3900	455	716	702	1106	385	608
3900	„	4000	462	726	716	1126	393	617
4000	„	4100	468	737	729	1148	400	629
4100	„	4200	476	748	743	1169	406	640
4200	„	4300	482	759	757	1191	414	651
4300	„	4400	489	770	770	1214	420	662
4400	„	4500	497	780	784	1234	427	671
4500	„	4600	503	791	799	1257	435	683
4600	„	4700	509	802	811	1277	445	694
4700 टन से अधिक 4800 तक								
4700	„	4800	516	813	826	1300	447	705
4800	„	4900	524	824	840	1322	455	716
4900	„	5000	530	834	853	1342	462	726
5000	„	5100	536	845	867	1365	468	737
5100	„	5200	544	856	880	1385	476	748
5200	„	5300	551	867	894	1408	482	752
5300	„	5400	557	878	908	1430	489	770
5400	„	5500	565	888	921	1451	497	780
5500	„	5600	571	899	935	1473	503	791
5600	„	5700	578	910	950	1494	509	802
5700	„	5800	586	921	962	1516	516	813
5800	„	5900	592	932	977	1538	524	826
5900	„	6000	598	942	991	1559	530	834
6000	„	6100	606	953	1004	1581	536	845
6100	„	6200	613	964	1018	1602	544	856
6200	„	6300	619	975	1031	1624	551	867
6300	„	6400	627	986	1045	1646	557	868
6400	„	6500	633	996	1059	1667	565	888
6500	„	6600	640	1007	1062			
6600	„	6700	648	1018	1086	1711	578	910
6700	„	6800	654	1029	1101	1732	568	921
6800	„	6900	660	1040	1113	1754	592	932
6900	„	7000	668	1050	1128	1775	598	942
7000	„	7500	687	1083	1169	1840	619	975

1	2	3	4	5	6	7
7500 ,, 8000 ,,	722	1137	1238	1948	654	1029
8000 ,, 8500 ,,	757	1191	1306	2056	687	1083
8500 ,, 9000 ,,	791	1245	1374	2164	722	1137
9000 टन से अधिक 20000 तक						
9000 ,, 9500 ,,	826	1300	1444	273	757	1101
9500 ,, 10000 ,,	859	1354	1513	2381	791	1245
10000 ,, 10500 ,,	894	1408	1581	2489	826	1300
10500 ,, 11000 ,,	929	1462	1649	2597	859	1354
11000 ,, 11500 ,,	962	1516	1718	2705	894	1408
11500 ,, 12000 ,,	997	1570	1788	2815	929	1462
12000 ,, 12500 ,,	1031	1624	1856	2923	962	1516
12500 ,, 13000 ,,	1066	1673	1924	3031	997	1570
13000 ,, 13500 ,,	1101	1732	1993	3139	1031	1624
13500 ,, 14000 ,,	1134	1786	2061	3247	1066	1678
14000 ,, 14500 ,,	1169	1840	2131	3355	1101	1732
14500 ,, 15000 ,,	1203	1894	2199	3464	1134	1786
15000 ,, 15500 ,,	1236	1948	2268	3572	1169	1840
15500 ,, 16000 ,,	1272	2002	2336	3680	1203	1894
16000 ,, 16500 ,,	1306	2056	2405	3788	1238	1948
16500 ,, 17000 ,,	1311	3110	2475	3896	1272	2002
17000 ,, 17500 ,,	1374	2164	2543	4004	1306	2056
17500 ,, 18000 ,,	1409	2219	2611	4112	1311	2110
18000 ,, 18500 ,,	1444	2273	2680	4220	1374	2164
18500 ,, 19000 ,,	1478	2327	2748	4328	1409	2219
19000 ,, 19500 ,,	1513	2381	2818	4437	1444	2273
19500 ,, 20000 ,,	1546	2435	2886	4545	1478	2327
20000 टन से ऊपर हर अतिरिक्त 1000 टन						
या 1000 टन के भाग के लिये	70	110	140	220	70	111

प्रथम अनुसूची के लिए टिप्पणी

1. जलयान के टनभार की गणना करते समय 0.05 और इससे अधिक के अंकों को एक टन माना जायेगा तथा 0.50 से कम के अंकों को गणना में नहीं लिया जायेगा।

2. पैरा 4 और 5 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपरोक्त दरों पर फीस के अन्तर्गत, किसी पाइलट की जलयान पर आने के समय से 6 घंटे की अवधि तक पत्तन में प्रवेश करने वाले या पत्तन से बाहर जाने वाले किसी जलयान के संचालन, लंगरगाही (एंगरेज) या लंगर डालने से संबंध सभी प्रकार के कर्तव्यों के लिये पाइलट की सेवाएं आती हैं किन्तु यदि 6 घंटे से अधिक के लिये उसकी सेवा अपेक्षित हो, तो यथास्थिति, अतिरिक्त परिवहन या उपस्थिति फीस प्रभारित की जायेगी।

5. ऐसे स्टीमरों में जो तटवर्ती स्टीमर की परिभाषा के भीतर आते हैं और जिनके लिये मध्यम पत्तन के न्यासा बोर्ड द्वारा डाक हारबर बाल में नियमित बर्थों की व्यवस्था की गई है उस समय मार्गदर्शन फीस प्रभारित नहीं की जायेगी जब ऐसे स्टीमरों का उनके अनुबन्ध मास्टरों द्वारा अपने बर्थ में सीधे खुले समुद्र तक और खुले समुद्र से सीधे अपनी बर्थ तक मार्गदर्शन किया जाना है। अन्य सभी मामलों में ऐसे स्टीमरों पर सामान्य मार्गदर्शन फीस प्रभारित की जायेगी।

4. किसी जलयान को बूचर द्वीप, होग द्वीप या नौकर प्वाइंट से सीधे समुद्र में या किसी अन्य स्थान पर ले जाने के लिये या बन्दरगाह अथवा डाक में लंगर डालने के लिये या सीधे समुद्र से या किसी अन्य स्थान से उसे बूचर द्वीप, होग द्वीप या नौकर प्वाइंट पर ले जाने के लिये और परीक्षण यात्रा पर जा रहे जलयानों के लिये यथास्थिति धारा या डाक तक एक ही बार

मार्गदर्शन फीस प्रभारित की जायेगी किन्तु जब कोई ऐसा जलयान जो बूचर द्वीप, होन द्वीप या नीकर प्वाइंट से समुद्र की ओर जा रहा है, अपने मास्टर की इच्छानुसार बन्दरगाह में लंगर डालता है, तो धारा से मार्गदर्शन फीस का डेढ़ गुणा प्रभारित किया जायेगा।

5. किसी जलयान को सीधे पीर पाओ से समुद्र में लाने या समुद्र में सीधे पीर पाओ को ले जाने के लिये मार्गदर्शन फीस और समुद्र से डाक तक की दूर की आधी फीस प्रभारित की जायेगी और किसी जलयान को पीर पाओ से किसी बर्थ तक या डाक तक ले जाने के लिये या लंगर डालने के लिये या इसके विपर्ययेन के लिये समुद्र से डाक तक की दूर पर एकल मार्गदर्शन फीस प्रभारित की जायेगी।

6. जब कोई जलयान टंकी की गैस मुक्त करने के प्रयोजन से पत्तन की सीमा से बाहर जाता है और किसी अन्युक्त या शुष्क डाक में प्रवेश करने हेतु पत्तन में वापस आ लौटता है तो उससे आधी बहिर्गमन और आधी अन्तर्गमन मार्गदर्शन फीस उद्गृहीत की जायेगी।

7. (i) जब किसी पाइलट को जलयान समुद्र में ले जाने का आदेश दिया जाता है और वह यह पाता है कि जलयान के समुद्र में प्रस्थान करने से पूर्व कम्पास को व्यवस्थित करना या परीक्षण यात्रा करना आवश्यक है तो, यथास्थिति धारा, या डाक से अतिरिक्त मार्गदर्शन फीस की आधी यदि जलयान पाइलट स्टेशन की सीमाओं से बाहर नहीं जाता, प्रभारित की जायेगी।

7. (ii) यदि जलयान पाइलट स्टेशन से बाहर प्रस्थान कर जाता है और पुनः बन्दरगाह में वापस जाता है तो अन्ततः जलयान को समुद्र में ले जाने के लिये सामान्य मार्गदर्शन फीस के अतिरिक्त धारा से या डाक से अतिरिक्त पूर्ण मार्गदर्शन फीस की प्रभारित की जायेगी।

(iii) यदि किसी पाइलट से केवल कम्पासों को व्यवस्थित करने की अपेक्षा की जाती है, चाहे पाइलट स्टेशन में या उसके बाहर जो यथास्थिति धारा या डाक से आधी मार्गदर्शन (पाइलटेज) फीस प्रभारित की जायेगी।

(iv) पाइलट उपर्युक्त सेवाओं के लिये जलयान के मास्टर से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

8. जलयान के अभिकर्ता या स्वामी के अनुरोध पर पाइलट स्टेशन के बाहर जलयान को रोकने के लिये निम्नलिखित प्रभार लिया जायेगा :—

(क) तटवर्ती जलयान	172 रुपये
(ख) विदेशगामी जलयान	272 रुपये

9. ऐसे जलयान में जिसे पाइलट स्टेशन छोड़ने के पश्चात् मौसम की खराबी के कारण या कोई नुकसान होने के परिणामस्वरूप पत्तन में पुनः प्रवेश करना पड़ता है पूर्ण मार्गदर्शन (पाइलटेज) फीस प्रभारित की जायेगी।

10. यदि पाइलट को पाइलट स्टेशन पर छोड़ जाने से पूर्व किसी विदेशगामी जलयान को मौसम की खराबी के कारण या कोई है तो पूर्ण अन्तर्गमन मार्गदर्शन (पाइलटेज) फीस और पूर्ण बहिर्गमन मार्गदर्शन पाइलट फीस जब वह समुद्र में पुन जाये, प्रभारित की जायेगी।

द्वितीय अनुसूची

[खंड 3 (2) देखिए]

भारतीय और विदेशी युद्ध जलयानों के लिये मार्गदर्शन (पाइलटेज) और परिवहन फीस

पोत या धर्म	मार्गदर्शन फीस		डाक के भीतर या उसके बाहर परिवहन या कृषण के लिये	
	भारतीय पोत	विदेशी पोत	भारतीय पोत	विदेशी पोत
	रु०	रु०	रु०	रु०
रणजीत, रणकूजर, वायुयान	687	1,083	516	813
वाहक कूजर, मानीटर	516	813	344	543
जहाज (स्लूप) विध्वंसक और अन्य युद्ध पोत	344	543	207	326

[सं० पी० डब्ल्यू०/पी०जी०आर०/75-82]

पी०डी० वेकटकृष्णन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1983

G.S.R. 338 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Port Act 1908 (15 of 1908) and in supersession of the port of Bombay Pilotage and other services (fees) order, 1975, (*) except as respects thing done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following order, for regulating the levy of fees for pilotage and other services in the Port of Bombay, namely :—

ORDER

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the port of Bombay Pilotage and other services (fees) Order 1983. (2) It shall come into force at once.

2. Definitions.—In this Order—

- (a) “Coasting vessel” means a vessel engaged in the carriage by sea of passengers or goods from any port or place in India to any other port or place in India. However, if any vessel or boat or barge or country craft (not square rigged) employs itself in the carriage of passengers and/or goods to or from a foreign going vessel within the limits of the port of Bombay, then the said vessel or boat or barge or country craft (not square rigged) shall be treated as a foreign going vessel for the purposes of the scale of rates under this order until disembarkations of passengers or discharge of goods therefrom is completed.
- (b) “Foreign going vessel” means a vessel employed in trading between any port or place in India and any other port or place or between ports or places outside India.
- (c) “port” means the port of Bombay.
- (d) “Sailing vessel” means any description of vessel provided with sufficient sail area for navigation under sails alone, whether or not fitted with mechanical means or propulsion and includes a rowing boat or canoe, but does not include a pleasure craft.
- (e) “Schedule” means a Schedule to this Order.

3. Fees for pilotage, etc.—(1) Fees for pilotage and transporting of vessels on the gross registered tonnage of steamers or sailing vessels including Government vessels and hired transports out excluding Indian and foreign vessels-of-war shall be as specified in the First Schedule.

(2) Fees for pilotage and transporting Indian and foreign vessels of war shall be as specified in the Second Schedule.

4. Attendance and detention fees for Master Pilots and Pilots.—(1) An attendance fee of Rs. 140 and Rs. 220 in the case of a coasting vessel and foreign-going vessel, respectively, shall be charged, where a pilot boards a vessel and is informed that his services are not required, or for each six hours attendance or part thereof in excess of the first six hours, in the following cases (except sailing vessels), namely :—

- (i) When a Master Pilot or a Pilot is appointed to transport a vessel in the harbour and the vessel is not ready to move or to dock or undock or when a Pilot is appointed and the vessel is not ready to proceed to sea or when a Master Pilot or Pilot is requisitioned to re-moor a vessel ;
- (ii) When a vessel after being brought out of a dock is detained on account of being overladen.

(2) When in circumstances of unavoidable necessity a Master Pilot or Pilot is required to attend a ship, the following fees shall be charged for every six hours or part thereof in excess of the first six hours during which he is beyond the limits of the port and until he returns to Bombay, namely :—

- (a) Rs. 70, in respect of a coasting vessel;
- (b) Rs. 110, in respect of a foreign-going vessel.

5. Warping Fees.—All vessels dry docking in Mogul or Ritchie dry Dock shall be charged warping fees at the following rates if first moored to the Head Fast Bucy and thereafter warped into Dry Dock, namely :—

- (a) Rs. 177, in respect of a coasting vessel;

(b) Rs. 279, in respect of a foreign-going vessel;

Provided that there shall be no charge if the vessel proceeds direct to Mogul or Ritchie Dry Dock.

6. Harbour Master's Attendance Fees.—Where the Deputy Conservator considers that the attendance of the Harbour Master is necessary and provides such attendance, a fee at the rate of Rs. 207 in respect of a coasting vessel and Rs. 326 in respect of a foreign-going vessel shall, in addition to any transporting or Pilotage fees chargeable under this Order, be levied :—

(a) for examining or lifting or laying or re-laying moorings or recovering anchors, or chain;

(b) for taking a bulk oil vessel to or from an oil berth;

(c) for putting a vessel upon the break up ground;

(d) for attending a vessel on fire or in any other special circumstances.

Gross Tonnage of Vessel	Pilotage Fees					
	Sea to Stream or vice versa within 6 hrs.		Sea to Dock or vice versa within 6 hrs.		Transporting Fees from one berth to another in harbour or from stream to Dock or vice-versa	
	Coasting vessels	Foreign going vessels	Coasting vessels	Foreign going vessels	Coasting vessels	Foreign-going vessels
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
100 Tonnes and under Above	207	326	207	326	139	218
100 Tons to 200 Tons	207	326	207	326	139	218
200 „ 300 „	207	326	207	326	145	228
300 „ 400 „	214	336	222	347	145	228
400 „ 500 „	222	347	234	369	153	239
500 „ 600 „	228	358	249	390	159	250
600 „ 700 „	234	369	263	412	166	261
700 „ 800 „	242	381	276	435	172	272
800 „ 900 „	249	390	290	455	180	282
900 „ 1000 „	255	401	304	477	187	293
1000 „ 1100 „	263	412	317	498	193	304
1100 „ 1200 „	269	423	331	520	201	315
1200 „ 1300 „	276	435	344	543	207	326
1300 „ 1400 „	284	444	358	563	214	336
1400 „ 1500 „	290	455	373	586	222	347
1500 „ 1600 „	296	466	385	608	228	358
1600 „ 1700 „	304	477	400	629	234	369
1700 „ 1800 „	311	489	414	651	242	381
1800 „ 1900 „	317	498	427	671	249	390
1900 „ 2000 „	325	509	441	694	255	401
2000 „ 2100 „	331	520	455	716	263	412
2100 „ 2200 „	338	532	468	737	269	423
2200 „ 2300 „	344	543	482	759	276	435
2300 „ 2400 „	352	554	497	780	284	444
2400 „ 2500 „	358	563	509	802	290	455

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2500 Tons to 2600 Tons	365	574	524	824	296	466
2600 " 2700 "	373	586	536	845	304	477
2700 " 2800 "	379	597	551	867	311	489
2800 " 2900 "	385	608	565	888	317	498
2900 " 3000 "	393	617	578	910	325	509
3000 " 3100 "	400	629	592	932	331	520
3100 " 3200 "	406	640	606	953	338	532
3200 " 3300 "	414	651	619	975	344	543
3300 " 3400 "	420	662	633	996	352	554
3400 " 3500 "	427	671	648	1018	358	563
3500 " 3600 "	435	683	660	1040	365	574
3600 " 3700 "	441	694	675	1061	373	586
3700 " 3800 "	447	705	687	1083	379	597
3800 " 3900 "	455	716	702	1106	385	608
3900 " 4000 "	462	726	716	1126	393	617
4000 " 4100 "	468	737	729	1148	400	629
4100 " 4200 "	476	748	743	1169	406	640
4200 " 4300 "	482	759	757	1191	414	651
4300 " 4400 "	489	770	770	1214	420	662
4400 " 4500 "	497	780	784	1234	427	671
4500 " 4600 "	503	791	799	1257	435	683
4600 " 4700 "	509	802	811	1277	441	694
4700 " 4800 "	516	813	826	1300	447	705
4800 " 4900 "	524	824	840	1322	455	716
4900 " 5000 "	530	834	853	1342	462	726
5000 " 5100 "	536	845	867	1365	468	737
5100 " 5200 "	544	856	880	1385	476	748
5200 " 5300 "	551	867	894	1408	482	759
5300 " 5400 "	557	878	908	1430	489	770
5400 " 5500 "	565	888	921	1451	497	780
5500 " 5600 "	571	899	935	1473	503	791
5600 " 5700 "	578	190	950	1494	509	802
5700 " 5800 "	586	921	962	1516	516	813
5800 " 5900 "	592	932	977	1538	524	824
5900 " 6000 "	598	942	991	1559	530	834
6000 " 6100 "	606	953	1004	1581	536	845
6100 " 6200 "	613	964	1018	1602	544	856
6200 " 6300 "	619	975	1031	1624	551	867
6300 " 6400 "	627	986	1045	1646	557	878
6400 " 6500 "	633	996	1059	1667	565	888
6500 " 6600 "	640	1007	1072	1689	571	899
6600 " 6700 "	648	1018	1086	1711	578	910
6700 " 6800 "	654	1029	1101	1732	586	921
6800 " 6900 "	660	1040	1113	1754	592	932
6900 " 7000 "	668	1050	1128	1775	598	942
7000 " 7500 "	687	1083	1169	1840	619	975
7500 " 8000 "	722	1137	1238	1748	654	1029
8000 " 8500 "	757	1191	1306	2056	687	1083
8500 " 9000 "	791	1245	1374	2164	722	1137
9000 " 9500 "	826	1300	1444	2273	757	1191
9500 " 10000 "	859	1354	1513	2381	791	1245
10000 " 10500 "	874	1408	1581	2489	826	1300
10500 " 11000 "	929	1462	1649	2597	859	1354
11000 " 11500 "	962	1516	1718	2705	894	1408

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
11500	12000	997	1570	1788	2815	929	1462
12000	12500	1031	1624	1856	2923	962	1516
12500	13000	1066	1678	1924	3031	997	1570
13000	13500	1101	1732	1993	3139	1031	1624
13500	14000	1134	1786	2061	3247	1066	1678
14000	14500	1169	1840	2131	3355	1101	1732
14500	15000	1203	1894	2199	3464	1134	1786
15000	15500	1236	1948	2268	3572	1169	1840
15500	16000	1272	2002	2336	3680	1203	1894
16000	16500	1306	2056	2405	3788	1238	1948
16500	17000	1341	2110	2475	3896	1272	2002
17000	17500	1374	2164	2543	4004	1306	2056
17500	18000	1409	2219	2611	4112	1341	2110
18000	18500	1444	2273	2680	4220	1374	2164
18500	19000	1478	2327	2748	4328	1409	2219
19000	19500	1513	2381	2818	4437	1444	2273
19500	20000	1546	2435	2886	4545	1478	2327
Above 20000 tons for every addl.							
1000 tons or fractions of 1000 tons		70	110	140	220	70	110

Notes to First Schedule

1. In reckoning tonnage of a vessel, figures 0.50 and more shall be taken as one tonne and figures below 0.50 shall be ignored.

2. Save as otherwise provided in paragraphs 4 and 5, fees at the above rates shall cover the services of a Pilot for all duties connected with the movement, anchorage or mooring of a vessel entering or leaving the port for a period of 6 hours from the time of the pilot's joining the vessel, but if his services are required for more than 6 hours, an additional Transporting or Attendance fee, as the case may be, shall be charged.

3. Steamers which come within the definition of "Coasting Steamers" and for which regular berths have been provided by the Board of Trustees of the port of Bombay at the Dock Harbour Walls shall not be charged Pilotage fees, when such steamers are piloted direct from their berths to the open sea or *vice-versa* by their Licensed Masters. In all other cases, the usual Pilotage fees shall be charged on such steamers.

4. For taking a vessel from Butcher Island, Hog Island or Nocar Point to sea direct or to any point or mooring in the Harbour or Dock or *vice-versa*, and for vessels proceeding on a trial-trip a single Pilotage fee from stream or dock, as the case may be, shall be charged, but when a vessel proceeding to sea from Butcher Island, Hog Island or Nocar Point is, at the wish of the Master, anchored in the Harbour one and a half pilotage fee from stream shall be charged.

5. For taking a vessel from Pir Pau to sea direct or *vice-versa* a pilotage fee and a half at the sea-to-dock rate shall be charged and for taking a vessel from Pir Pau to any berth or mooring in the harbour or to dock, or *vice-versa*, a single pilotage fee at the sea to dock rate shall be charged.

6. When a vessel proceeds out of Port limits for the purpose of rendering the tanks gas-free and returns to Port to enter a wet or dry dock, half outward and half inward pilotage fees only shall be levied.

7. (i) When a pilot is ordered to take a vessel to sea, and it is found that, before the vessel proceeds to sea, it is necessary to adjust compasses or make a trial-trip, an extra half pilotage fee from stream or dock, as the case may be, shall be charged, if the vessel does not proceed beyond the Pilot Station limits.

(ii) If, however, the vessel proceeds beyond the Pilot Station and returns to harbour again, an extra full pilotage fee from stream or dock, as the case may be in addition to the ordinary pilotage fee for ultimately taking the vessel to sea, shall be charged.

(iii) If a pilot is required for adjusting compasses only, whether inside or outside the Pilot Station, half pilotage fee from stream or dock, as the case may be shall be charged.

(iv) Pilots shall produce a Certificate from the Master of the vessel for the above services.

8. For intercepting a vessel outside the pilot station at the request of the Agent or Owner of the vessels, the charge will be as under :-

(a) Coasting Vessel	Rs. 172
(b) Foreign-going Vessel	Rs. 272

9. A vessel which, having left the Pilot Station, is compelled to re-enter the port by stress of weather or in consequence of having sustained any damage, shall be charged the full Pilotage fee.

10. If before the pilot is discharged at the Pilot Station, an outward bound vessel is compelled to re-enter the Port by stress of weather or in consequence of having sustained any damage, a full inward pilotage fee and a full outward pilotage fee when she proceeds to sea again shall be charged.

11. For piloting a tug in tow of another barge or barges, fees at the above rates shall be levied on the aggregate gross Registered Tonnage of the tug and the barge or barges in tow.

THE SECOND SCHEDULE

[see clause 3(2)]

Pilotage and transporting fees for Indian and Foreign vessels of war.

Class of Ship	Pilot fees		Fees for Transporting or Hauling in or out of Dock	
	Indian Ship	Foreign Ship	Indian Ship	Foreign Ship
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Battleships, Battle Cruisers Aircraft carriers	687	1,083	516	813
Cruisers Monitors	516	813	344	543
Sloops, Destroyers and other Warships	344	543	207	326

[No. PW/PGR/75/82]

P.V. VENKATAKRISHNAN, Jt. Secy.

